न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम सैयद सीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)
वाद सं0 461 सन 2018
अनवान :-

1 बंशीलाल पुत्र हरदत्त जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

बनाम वादी

1 हरदत्त पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
2 प्रदीप पुत्र हरदत्त जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3 शारदा पुत्री हरदत्त जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4 प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 5.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 11 जेएसएन के खाता संख्या 30/29 के कुल किता 5 का कुल 0.0660हैक्. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी के खाता संख्या 170/157 के किता 13 का कुल 2.3530हैक्. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदत्त पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष मे किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। उभयपक्षो को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व मे वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी

Scanned with CamScanner

संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमिं का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा 11 जेएसएन के खाता संख्या 30/29 के कुल 0.0650हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 170/157 के कुल 2.3530हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बतौर खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज- दिनांक 5.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र हरदत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

बनाम वादी

1 हरदत पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
2. प्रदीप पुत्र हरदत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री हरदत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. प्रबन्धक एसबीआई बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 461 सन 2018 निर्णय दिनांक– 5.11.18

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा 11 जेएसएन के खाता संख्या 30/29 के कुल 0.0650हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 170/157 के कुल 2.3530हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बतौर खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5.11.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner